तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के जवाब हेतु नियत दिनांक 18.2.21 को पेश हो।
18.2.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण एव पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा०प० किया गया। नायब तहसीलदार एव भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 30.3.21 को पेश हो।
30.3.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, नायब तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का पीथास मय भू अभिलेख की रिपोर्ट व पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादितआराजियात ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल मे स्थित होकर भैरूसिंह, राजुसिंह एव अन्य सह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ता[illegible] संवत 2071-2074 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो एव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण भैरूसिंह के बजाय सुमेरसिंह, राजुसिंह के बजाय राजसिंह नाम अंकित करवाना चाहते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:58:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
है जिसकी ताईद राशन कार्ड परिवार की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, आयकर विभाग की फोटो प्रति, बैंक खाते की डायरी की फोटो प्रति आदि से होती है। उसी अनुसार प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत: :: आदेश :: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 405 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नं० 413 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नं० 2877/413 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकॉर्ड मे प्रार्थी सं० 1 का नाम भैरूसिंह के बजाय सुमेरसिंह व प्रार्थी सं० 2 का नाम शम्भुसिंह के बजाय राजसिंह अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.10 12:58:20 IST
Reason: SelfAttested